

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

जिला अवर निबंधक,
राँची एवं पलामू।

राँची, दिनांक-30-9-2024

विषय:- स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2030-स्टाम्प पंजीकरण, उप मुख्यशीर्ष-03-पंजीकरण, लघुशीर्ष-001- निदेशन एवं प्रशासन, उपशीर्ष-02-जिला प्रभार के अंतर्गत विभिन्न इकाईयों में कुल ₹96,20,000/- (छियानवे लाख बीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विषयांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत जिला अवर निबंधक, राँची के पत्रांक-1311, दिनांक-10.09.2024 तथा पलामू के पत्रांक-597, दिनांक-06.09.2024 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में कुल ₹96,20,000/- (छियानवे लाख बीस हजार रुपये) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है:-

क्र.	जिला एवं DDO Code	राँची (RNCNR 003)	पलामू (PLMSNR 001)	कुल
1	वेतन	5000000	1000000	6000000
2	व्यवसायिक सेवाएँ	2500000	800000	3300000
3	कार्यालय व्यय	150000	100000	250000
4	विधि प्रभार	10000	0	10000
5	किराया, दर, कर	0	60000	60000
	कुल	7660000	1960000	9620000

- इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिले के संबंधित डी0डी0ओ0 में दिया गया है।
- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं 257/बजट, दिनांक-21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
- वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।
- वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन एवं 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

कृ०पृ०उ०

6. सभी DDOs को निदेश दिया जाता है कि सरकारी आवास में रहने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए कि वह HRA नहीं ले रहे हैं एवं लाईसेंस फी की कटौती हो रही है।
7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. राशि निकासी से संबंधित विपत्र पर शीर्षादि एवं माँग संख्या-38 के अतिरिक्त विपत्र कोड का इकाईवार उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
9. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।
10. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।
11. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

Shee.
27/11
(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—

69/3111 राँची, दिनांक— 30-9-2024
प्रतिलिपि :—महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी संबंधित जिला कोषागार

पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shee.
27/11/XXIV

सरकार के सचिव।